



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16112022-240310
CG-MH-E-16112022-240310

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582]
No. 582]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2022/कार्तिक 24, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022/KARTIKA 24, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 15 नवम्बर, 2022

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/104.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 तथा धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, धारा 8क तथा धारा 31 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में,-

I. विनियम 44 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“व्यवस्थित तरीके से बंद करना

44क. (1) प्रत्येक समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) के यहाँ उसके महत्वपूर्ण कामकाज और सेवाओं को व्यवस्थित तरीके से बंद करने (फिर चाहे ऐसा स्वेच्छा से करना हो या अन्यथा) के संबंध में एक ढाँचा होगा।

(2) प्रत्येक समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) यह सुनिश्चित करेगा कि इस ढाँचे में:-

(क) ली गई पोजीशन (पोजीशनों) का समय पर और व्यवस्थित तरीके से निपटान (सेटलमेंट) करने या इन्हें समाप्त करने या अंतरित (ट्रांसफर) करने का प्रावधान हो, और/या;

(ख) सदस्यों (मेम्बर) की जमानत (जमानतें) [संपार्श्विक / कोलेट्रल] या जमाराशि (जमाराशियाँ) [डिपॉजिट] या मार्जिन या कोई अन्य आस्ति (आस्तियाँ / असेट) किसी ऐसे अन्य मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम को अंतरित (ट्रांसफर) करने का प्रावधान हो, जो समाशोधन निगम का कामकाज अपने हाथ में लेगा, और/या;

(ग) ऐसे ही अन्य विषयों के प्रावधान हों।

(3) ऊपर उप-विनियम (1) में जिस ढाँचे का जिक्र किया गया है, वह बोर्ड द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।”

माधवी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./403/2022-23]

पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/41, 3 अक्टूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, तत्पश्चात् –
 - (क) 4 जून 2019 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/21, द्वारा
 - (ख) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - (ग) 8 अक्टूबर, 2020 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/32, द्वारा
 - (घ) 23 मार्च, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/12, द्वारा
 - (ङ) 13 अगस्त, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/44, द्वारा
 - (च) 12 अगस्त, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/93, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th November, 2022

SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/104.—In exercise of the powers conferred by sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, namely:—

1. These Regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018,—

I. After regulation 44, the following regulation shall be inserted, namely,—

“Orderly Winding Down

44A(1) Every clearing corporation shall devise and maintain a framework for orderly winding down of its critical operations and services covering both voluntary and involuntary scenarios.

(2) Every clearing corporation shall ensure that the framework provides for:-

- a. the timely and orderly settlement or cessation or transfer of position(s), and/or;*
- b. the transfer of the collateral(s) or deposit(s) or margin(s) or any other asset(s) of the members to another recognized clearing corporation that would take over the operations of the clearing corporation, and/or;*
- c. such other related matter.*

(3) The framework referred to in sub-regulation (1) above, shall be in accordance with the guidelines specified by the Board in this regard from time to time.”

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./403/2022-23]

Footnote:

1. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 3rd October 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/41.
2. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were subsequently amended on—
 - (a) 4th June, 2019, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/21.
 - (b) 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (c) 8th October, 2020, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/32.
 - (d) 23rd March, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/12.
 - (e) 13th August, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/44.
 - (f) 12th August 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/93.